

सर्व-मेल

बिहार सरकार
विधि विभाग

ज्ञाप संख्या-जी०/यो०-३१-६४/२०१५/.....१४९२/जे०, पटना, दिनांक १९.०२.२६
सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

विषय:- व्यवहार न्यायालय, जमुई के पुराने जेल परिसर में ३० जजेज आवास (G+5) के निर्माण कार्य के निमित्त रु०-२०,४७,०२,०००/- (बीस करोड़ सैंतालीस लाख दो हजार) रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति की सहमति।

आदेश:- स्वीकृत।

- केन्द्र प्रायोजित स्कीम के तहत व्यवहार न्यायालय, जमुई के पुराने जेल परिसर में प्रस्तावित ३० जजेज आवास (G+5) के निर्माण कार्य के निमित्त रु०-२०,४७,०२,०००/- (बीस करोड़ सैंतालीस लाख दो हजार) रुपये के प्राक्कलन में मुख्य अभियंता (निरूपण), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है।
- यह केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसमें ६०% केन्द्रांश तथा ४०% राज्यांश का प्रावधान है।
- (i) केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि का विकलन, ६०:४० अनुपात में मुख्यशीर्ष-४२१६-आवास पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष-०१-सरकारी रिहायसी भवन, लघुशीर्ष-७००-अन्य आवास, उपशीर्ष-०२०६-ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं का विकास में स्वीकृत उपबंध की राशि से होगा। इसका विपत्र कोड-०३-४२१६०१७०००२०६ है।
(ii) राशि की निकासी केन्द्र प्रायोजित योजना ९१७४-Infrastructure Facilities for Judiciary के लिए SNA SPARSH के तहत RBI, Patna में खोले गये आहरण खाता संख्या-०१५८५५०११४५ (IFSC कोड-RBIS०८SSP०१) के माध्यम से की जायेगी।
- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे तथा राशि की निकासी जिला कोषागार, जमुई से की जायेगी।
- इस कार्य पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगी।
- प्रस्ताव में वित्त मंत्री, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।
(११२/टि०, दिनांक-११.०२.२०२६ सं०सं०-जी०/यो०-३१-६४/२०१५)
- प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
(९९/टि०, दिनांक-३१.१२.२०२५ सं०सं०- जी०/यो०-३१-६४/२०१५)
- प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
(११६/टि०, दिनांक-१७.०२.२०२६, सं०सं०-जी०/यो०-३१-६४/२०१५)
- स्वीकृत्यादेश में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,




(अंजनी कुमार सिंह)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी०/यो०-३१-६४/२०१५/.....१४९२/जे०, पटना, दिनांक १९.०२.२६

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(अंजनी कुमार सिंह)

सरकार के सचिव, बिहार।

कृ०पृ०३०

ज्ञाप संख्या-जी०/यो०-31-64/2015/...../जे०, पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जमुई को प्राक्कलन की छायाप्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(अंजनी कुमार सिंह)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी०/यो०-31-64/2015/...../जे०, पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं मुख्य अभियंता (निरूपण), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(अंजनी कुमार सिंह)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी०/यो०-31-64/2015/...../जे०, पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



(अंजनी कुमार सिंह)

सरकार के सचिव, बिहार।

2.1.17
18.02.16